कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 138/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

□छेड़छाड़ व धमकी के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, बोगरिया बाजार से पुलिस ने दबोचा

□महिला के साथ अभद्रता व मारपीट कर दी थी जान से मारने की धमकी

□पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को लिया गया हिरासत में

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ व धमकी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡□*घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 17.03.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अश्वनी कुमार गौतम पुत्र शिवकुमार द्वारा दिनांक 03.03.2026 को समय करीब 02 बजे दिन में घर में घुसकर एक महिला का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने, विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 74/352/351(3)/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। बाद में प्रकरण में धारा 64/123 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

➡□*गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 09.04.2026 को उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बोगरिया बाजार से अभियुक्त अश्वनी कुमार पुत्र शिवकुमार को समय करीब 14:25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।

➡□*अभियुक्त का विवरण—*

अश्वनी कुमार पुत्र शिवकुमार

➡□*पुलिस टीम—*

उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह मय हमराह हे0का0 नागेश्वर लाल, थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

□ महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

□नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, पिचरी गेट से पुलिस ने दबोचा

□पैसे का लालच देकर घटना को दिया था अंजाम, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

□त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आजमगढ़। जनपद में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡□*घटना का संक्षिप्त विवरण—*

दिनांक 09.04.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त सबीउल हसन उर्फ बफाती पुत्र मो0 यहिया द्वारा एक नाबालिग को पैसे का लालच देकर उसके साथ गलत कार्य करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में थाना मुबारकपुर

पर मु0अ0सं0 137/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

➡ *गिरफ्तारी का विवरण—*

दिनांक 10.04.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पिचरी गेट से अभियुक्त सबीउल हसन उर्फ बफाती पुत्र मो0 यहिया निवासी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11:15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।

➡ *अभियुक्त का विवरण—*

सबीउल हसन उर्फ बफाती पुत्र मो0 यहिया निवासी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

➡ *आपराधिक इतिहास—*

मु0अ0सं0 137/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

➡ *पुलिस टीम—*

व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

 महिला एवं बाल अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के 10,000/- रुपये कराए गए वापस

रिश्तेदार बनकर ठगी करने वाले अज्ञात कॉलर के झांसे में आया था पीड़ित

साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को मिली राहत

आजमगढ़। जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के क्रम में थाना सिधारी पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति की धनराशि वापस कराई गई है।

➡ *घटना का विवरण—*

आवेदक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक अज्ञात नम्बर से कॉल कर स्वयं को रिश्तेदार बताते हुए आपात स्थिति का हवाला देकर पैसों की मांग की गई। सहानुभूति व जल्दबाजी में आकर आवेदक द्वारा 10,000/- रुपये प्रेषित कर दिए गए, जिसके उपरांत ज्ञात हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हो गई है। इस संबंध में साइबर शिकायत संख्या 33111250168656 दर्ज की गई, जो थाना सिधारी पर प्राप्त हुई।

➡ *कार्रवाई का विवरण—*

शिकायत प्राप्त होते ही थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ के सहयोग से त्वरित तकनीकी कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पीड़ित के 10,000/- रुपये वापस उसके खाते में कराए गए।

➡ *जागरूकता अपील—*

आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी अज्ञात कॉलर को अपनी निजी जानकारी, ओटीपी आदि साझा न करें तथा बिना सत्यापन के किसी भी प्रकार का धनराशि लेन-देन न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें अथवा निकटतम थाना/साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

➡ *पुलिस टीम—*

उ0नि0 विधनेश वर्मा, कां0 महेश कुमार, म0का0 रीना यादव, कां0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

 साइबर अपराधों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई जारी है।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
□फर्जी चिकित्सक बनकर इलाज करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, पीजीआई तिराहा से पुलिस ने दबोचा
□अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित कर मरीजों के जीवन से कर रहा था खिलवाड़
□गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा फर्जी चिकित्सक बनकर इलाज करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡□*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अतरौलिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा अपने को मान्यता प्राप्त चिकित्सक बताते हुए अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित कर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इसी क्रम में एक महिला का ऑपरेशन/डीएनसी करते समय लापरवाही बरती गई, जिससे उसकी आंत में गंभीर क्षति हो गई तथा जीवन संकट में पड़ गया।
विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में पाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी चिकित्सकीय डिग्री का प्रयोग कर अवैध रूप से चिकित्सा कार्य करते हुए मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में बढ़ोत्तरी करते हुए मु0अ0सं0 402/25 धारा 110/318(4)/336(3)/340(2)/338/3(5) बीएनएस व 15(3) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम थाना अतरौलिया पर पंजीकृत है।

➡□*गिरफ्तारी का विवरण—*
दिनांक 10.04.2026 को उ0नि0 देवीशंकर पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पीजीआई तिराहा अतरौलिया से अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र स्व0 सोनई निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष को समय करीब 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।

➡□*अभियुक्त का विवरण—*
मुकेश यादव पुत्र स्व0 सोनई निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 37 वर्ष

➡□*बरामदगी—*
निल

➡□*आपराधिक इतिहास—*
निल

➡□*पुलिस टीम—*
उ0नि0 देवीशंकर पाण्डेय, का0 हेमचन्द्र, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
□ अवैध चिकित्सा गतिविधियों एवं जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 10.04.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में दोषी करार देते हुए **04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ **थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें** नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने **के आरोप मे 01 अभियुक्ता को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 09.02.2014 को वादिनी मुकदमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्ता** पार्वती देवी पत्नी सुरेश निवासी रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ **के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता न चलना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-13/2014 धारा-363,366 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक-10.04.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्ता** पार्वती देवी पत्नी सुरेश निवासी रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ **को दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**